मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 व 7 सिविल प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- [illegible]
मुकदमा वाद संख्या :- 160/2024

1. रामचन्द्र पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 5 पी.जी. [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं 07, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. [illegible] पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) चक 6 पी.जी. [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

बनाम

1. सरस्वती पत्नी [illegible] पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शांति देवी पत्नी [illegible] पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिराना।
3. [illegible] पत्नी [illegible] पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिराना।
4. [illegible] देवी पत्नी [illegible] पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक जालू तहसील व जिला सिरसा।
5. [illegible] पत्नी ओमप्रकाश पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक जालू तहसील व जिला सिरसा।
6. सरस्वती पत्नी सीताराम माता [illegible] देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी [illegible] ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. [illegible] माता [illegible] देवी पत्नी प्रथमचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 2 के.बी. एम. तहसील
8. [illegible] माता [illegible] देवी पत्नी प्रथमचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 2 के.बी. एम. तहसील

— — प्रतिवादीगण

धारा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. घोषणा

निर्णय दिनांक 28.08.2024

वादीगण की ओर से श्री [illegible] व प्रतिवादीगण की ओर से श्री [illegible] अधिवक्तागण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.08.2024 [illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निस्तारण के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मे वर्णित किशनाराम के नाम से संयुक्त खाता में चक नम्बर 1 ए.जी. के खाता संख्या 26/19 में कुल 1.239 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा तथा चक नम्बर 2 डी.बी.एल. के खाता संख्या 2/2 में संयुक्त खाता मे दर्ज कुल 1.240 हैक्टर आराजी में से किशनाराम के 1/2 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 ए.जी. के खाता संख्या 26/19 व चक नम्बर 2 डी.बी.एल. के खाता संख्या 2/2 मे से किशनाराम का नाम कलमजन किये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 26.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner